कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)

क्र./ 2137 /जि.पंचा./भण्डार/2019 अनूपपुर दिनांक 26/08/2019

निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय के अधीन संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की मानीटरिंग एवं अन्य शासकीय कार्यो हेतु आगामी एक वर्ष के लिये पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी से निम्नलिखित वाहन संलग्न करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र	**वाहन का प्रकार**	**आवश्यक संख्या**	**मासिक दर (अधिकतम)**
1	इनोवा (**2018-19** का पंजीयन)	**01**	**25000**
2	सफारी (**2018-19** का पंजीयन)	**01**	**25000**
3	बोलेरो (**2018-19** का पंजीयन) आफिस मॉडल	**04**	**20000**

इच्छुक ट्रेवल एजेंसी मालिक निविदा प्रपत्र शुल्क **2500**/- रूपये लेखा शाखा में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा दिनांक **02/09/2019** को अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन गठित क्रय समिति के द्वारा शायं 4:00 बजे खोली जावेगी।

निविदा शर्तें आदि की विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर व जिले की बेवसाईट https://anuppur.nic.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्र./ 2173/जि.पंचा./भण्डार/**2019** अनूपपुर दिनांक 26/08/2019

प्रतिलिपि -

1- कलेक्टर महोदय जिला अनूपपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- लेखाधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।

3- सूचना एवं जन संपर्क सहायक जिला पंचायत अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।

4- ब्यूरो चीफ ....अनूपपुर जिला अनूपपुर की ओर उक्त विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में राशि **3000**/ रूपये**-** की सीमा में प्रकाशनार्थ

5- वरिष्ठ डाटा प्रबंधक**,** जिला पंचायत अनूपपुर की ओर अनूपपुर की वेवसाईट में लोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)

<u>निविदा की शर्तें:-</u>

1 - पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सी ही निविदा के लिए पात्र मानी जावेंगी। एजेंसी के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

2 - निविदा की अधिकतम दर्शित दर सफारी एवं इनोवा-**25000**/ एवं बोलेरो हेतु **20000**/ से अधिक नहीं होना चाहिए।

3 - इनोवा एवं सफारी माडल **2018-19** तथा बोलेरो वाहन माडल (ऑफिस मॉडल) **2018-19** का पंजीकृत होना चाहिए एवं सभी वाहन सही स्थिति में होना आवश्यक है।

4 - वाहन टेक्सी परमिट होना चाहिए तथा वाहन चालक सहित संलग्न होगा।

5 - जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे वांछित वाहन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होंगे, जो निविदाकार के नाम पर पंजीकृत होंगे।

6 - बोलेरो वाहन का दर जिस निविदादाता का न्यूनतम होगा उसे **04** बोलेरो वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

7 - निविदा दर प्रस्तुत करते समय रूपये **5000**/ रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. धरोहार राशि के रूप में इस कार्यालय में जमा करना होगा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को देय होगा।

8 - कार्यादेश जारी होने के **07** दिवस के अन्दर निविदाकार को **500**/ रूपये के नानजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

9 - निविदा प्रपत्र हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में भरा जावे, जिसमें काटा पीटी अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं की जावेगी।

10 - अनुबंध पत्र की मूल प्रति स्वीकार की जावेगी छायाप्रति नहीं।

11- निविदाकार को आधार कार्ड पेंन कार्ड एजेंसी का पंजीयन जीएसटी नंबर तथा बैंक पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

<u>अनुबंध की अन्य शर्तें:-</u>

1. वाहन में डीजल की खपत शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए जारी ऐवरेज के अनुरूप होगी, परन्तु वाहन का ऐवरेज **10** कि.मी. प्रति लीटर से कम नहीं होगा।
2. किराये की अवधि में डीजल को छोड़कर वाहन के संधारण होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर-ट्यूब आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी।
3. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जा सकेगा, वाहन के चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करे।
4. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में स्टेपनी चारों पहियों के टायर-ट्यूब व माइलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी।
5. वाहन प्रदायकर्ता, वाहन चालक को हर समय कार्य के लिए तैयार रहने का आदेश देना होगा।
6. वाहन प्रदायकर्ता मय वाहनचालक के वाहन उपलब्ध करायेगा वाहन चालक के पास नियमानुसार वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वाहन भत्ता एवं अन्य खर्चे जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा।
7. वाहन प्रदायकर्ता के वाहन चालक को वाहन के पंजीकरण, बीमा, रजिस्ट्रेशन (टेक्सी परमिट) फिटनेस एवं ड्रायविंग लायसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा, वाहन टैक्स पेड होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे का वहन करेगा।
8. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदायकर्ता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी।
9. रास्ते में वाहन खराब (Fail) होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः **02** घंटों में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। **02** घंटों से अधिक वाहन खराब रहने तक उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब (Fail) होने पर गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदायकर्ता का होगा।
10. वाहन प्रदायकर्ता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांगानुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
11. वाहन चालक लाग बुक संधारित करेगा तथा उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन सत्यापित करायेगा। माह के अंत में प्रस्तुत देयक के साथ उपयोग किये गये डीजल एवं चली गई कुल दूरी टोटल कर लागबुक की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करेगा।
12. कांच में **70** प्रतिशत पारदर्शिता होना चाहिए।
13. वाहन का मासिक भुगतान कार्यालय द्वारा अनुमोदित दर पर किया जायेगा।
14. अनुबंध की अवधि कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष की होगी। सहमति के आधार पर आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

15. निर्धारित अनुबंध की शर्तो का पालन न करने पर अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

16. वाहन का उपयोग होने के पश्चात एवं अवकाश के दिनों में वाहन कार्यालय परिसर में ही रखा जावे।

17. वाहन मरम्मत हेतु ले जाने के पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता को वाहन का व्यक्तिगत उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

18. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर का मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)